आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

11.12.18

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 281 / 2017–18

1. मो0 मोईन उद्दीन, पिता–स्व0 नूर मोहम्मद
2. मो0 रईस, पिता–स्व0 शे0 सफीर उद्दीन
3. मो0 सनजीर, पिता–स्व0 शे0 आवदीन
4. अब्दुर रहमान, पिता–मो0 मोईन उद्दीन

सभी ग्राम–बाँसबाड़ी, थाना–अररिया, जिला–अररिया – आवेदकगण

बनाम

1. मो0 सोहेल, पिता–स्व0 अयुब हुसैन
2. बीबी जरीन, पति–मो0 सोहेल
3. मो0 मुर्शिद आलम, पिता–स्व0 शे0 अशरफ अली

सभी ग्राम–बाँसबाड़ी, थाना व जिला–अररिया – विपक्षीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 मोईन उद्दीन, पिता–स्व0 नूर मोहम्मद एवं अन्य तीन, ग्राम–बाँसबाड़ी, थाना–अररिया, जिला–अररिया की ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी सं0 5924 एवं 6254 को रद्द करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 27.11.2017 को दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2017 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत विपक्षीगणों द्वारा अधिवक्ता शक्ति पत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
बाँसबाड़ी थाना नं0 193	1491 (नया) 273 (पुराना)	4799 (नया) 3339 (पुराना) 3340 (पुराना)	1.52 ए0	5924 6254

आवेदकगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक

दूसरी ओर विपक्षीगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि का सर्वे खतियान शे0 सहमत, शे0 वसीर एवं शे0 अहमद के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज है। खतियानी रैयत सहमत एवं अहमद के वारिशान ने अपना–अपना हिस्सा विपक्षी सोहेल, बीबी जरीना एवं मो0 मुर्शीद को भिन्न–भिन्न केवाला द्वारा बिक्री कर दिया गया है। वर्त्तमान में ये सभी क्रेता जमीन पर दखलकार है। नामांतरण वाद सं0 10597/2012–13 एवं 80/2013–14 द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं0 5924 एवं 6254 दर्ज कराया गया है तथा बिहार सरकार को लगान भुगतान कर लगान रसीद प्राप्त कर रहें हैं। आवेदक दिवानी वाद सं0 166/53 के आधार पर अपने नाम पर जमाबंदी सुधार करने हेतु वाद लाया है, जो पोषनीय नहीं है।

आगे इनका यह भी कहना है कि दिवानी वाद सं0 166/1953 में जो डिग्री पारित हुआ है वह सही है। इस डिक्री के विरूद्ध विपक्षीगण के पूर्वज ने अपील वाद सं0 02/1955 दाखिल किया, जो खारिज हो गया। ओवदकगण के पूर्वज ने जो दिवानी मुकदमा किया था, वह जमीन पर दखल दिलाने का आवेदन दाखिल किया था। जिसमें विपक्षीगण का अपील खारिज हुआ। किन्तु आवेदकगण के पूर्वज ने डिग्री के आधार पर कोई दखल प्राप्त नहीं किया। अतः वह डिग्री प्रभावी नहीं हुआ। आवेदकगण द्वारा delievery of possession का कोई डिग्री प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उस डिग्री के आधार पर विपक्षीगणों के नाम चल रही जमाबंदी को चुनौती दी गई है। वर्त्तमान में आवेदकगणों केनाम कोई जमाबंदी कायम नहीं है। विपक्षीगणों ने सहमत एवं अहमद के वारिसान से वाद भूमि क्रय कर दस्तावेज के आधार पर विधिवत नामान्तरण द्वारा जमाबंदी कायम कराया है। अतः मामला जमाबंदी रद्दीकरण का नहीं होकर नामान्तरण अपील का बनता है। आवेदकगण कई वर्षों के बाद मामला लाये हैं।

अतः आवेदकगणों के इस जमाबंदी रद्दीकरण के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

अतः उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का दिवानी वाद सं0 166/1953 एवं डिक्री जारी वाद सं0 83/1959 द्वारा आवेदकगणों के पूर्वज के नाम डिक्री प्राप्त हैं। परन्तु वर्ष 1958 में सर्वे खतियान दिवानी वाद सं0 166/1953 के प्रतिवादीगणों के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज हुआ तथा खतियानी रैयतों के वारिसानों द्वारा वादग्रस्त भूमि विपक्षीगणों को तीन निबंधित दस्तावेज से बिक्री कर दी गई है। जिसका दाखिल खारिज वाद सं0 10597/2012–13 एवं वाद सं0 80/2013–14 के उपरांत विपक्षीगणों के नाम से जमाबंदी सं0 5924 एवं 6254 दज हुआ है। विपक्षी मुसिद आलम के दस्तावेज का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अभिलेख के साथ संलग्न परिवाद की अनन्य सं0 407110119011701489/2A में जिला पदाधिकारी, अररिया–सह–द्वितीय अपीलीय

पारित आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकरी, अररिया को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 161 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 11 / 12 /2018

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.12.18
अपर समाहर्त्ता,
अररिया